उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06-06-2025 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः-

1. श्री राज कुमार, विशेष सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री रामरतन, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री इन्द्रजीत सिंह, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपीनेडा ।
4. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)।
5. श्री पंकज सिंह, सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा ।
6. श्री राकेश अग्रवाल, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी ग्रेड-1, यूपीनेडा ।
7. श्री नरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा ।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

1. श्रीमती जे. रीभा, जिलाधिकारी- बाँदा ।
2. श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. श्री माया शंकर सिंह, अपर जिलाधिकारी, बाँदा ।
4. श्री राकेश पाठक, उप जिलाधिकारी, चित्रकूट ।

1- <u>जनपद- बाँदा।</u>

(1) निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स अवादा इण्ड सोलर प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा जनपद बाँदा में 70 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के लिए पत्र दिनांक 10-07-2023 द्वारा आवेदन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी बाँदा के आदेश संख्या 195/12-भूमि व्यवस्था-बाँदा, दिनांक 14-08-2024 के द्वारा जनपद बाँदा के तहसील पेलानी, ग्राम-अलौना में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 21.36 एकड़ भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर उपलब्ध करायी गयी है।

(2) उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि जनपद-बॉंदा में 70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु समिति की बैठक दिनांक 03.01.2024 में उक्त प्रोजेक्ट हेतु 29.98 एकड सरकारी भूमि लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह, वरि०परि०अधि०, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि यह परियोजना कमीशण्ड हो चुकी है और अतिरिक्त भूमि की मॉंग परियोजना की क्षमता बढाने के लिए की जा रही है। उक्त परियोजना के विस्तार किये जाने का उल्लेख न तो चेकलिस्ट में किया गया है और न ही यूपीनेडा द्वारा प्रेषित प्रस्ताााव में किया गया है। अतः परियोजना हेतु निदेशक, यूपीनेडा द्वारा की गयी संस्तुति उचित प्रतीत नहीं हो रही है।

(3) समिति द्वारा बैठक के दौरान प्रश्नगत प्रस्ताव के संबंध में जिलाधिकारी-बॉंदा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-बॉंदा में 70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु 21.36 एकड भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को आवंटित की गयी है। उक्त भूमि के अतिरिक्त Project Aria के बीच में 1.8 एकड भूमि और है, जिस पर किसी का नाम नहीं है अर्थात मतरूक है। उक्त भूमि के संबंध में जिलाधिकारी बॉंदा परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें।

समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि निदेशक, यूपीनेडा, जिलाधिकारी, बांदा से यह ज्ञात कर लें कि उक्त जमीन सुरक्षित श्रेणी की तो नहीं है तथा भूमि के अभिलेखों का पुनः परीक्षण करा लिया जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि समिति की आगामी बैठक में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ।

2- <u>जनपद- कौशाम्बी।</u>

(1) निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स ओ०एम०सी० प्रा० लि०, गुरूग्राम, हरियाणा द्वारा जनपद कौशाम्बी में पीएम कुसुम सी-2 योजनान्तर्गत आवंटित 1.3 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु 5.2 एकड सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, कौशाम्बी के आदेश संख्या 800(3)/भूलेख-सात(डीएलआरसी)-कौशा/2025, दिनांक 19-02-2025 के द्वारा तहसील सिराथू के ग्राम-सिपाह में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 7.756 एकड़ भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए पट्टा पर उपलब्ध करायी गयी है।

(2) उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान यह पाया गया कि जनपद- कौशाम्बी में पीएम कुसुम सी-2 योजनान्तर्गत आवंटित 1.3 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु 5.2 एकड सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध

कराये जाने का प्रस्ताव सौर ऊर्जा नीति के प्रस्तर 13.10.3 के अन्तर्गत किया गया है। यूपीनेडा के प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह परियोजना स्टैण्ड एलोन परियोजना है? स्टैण्ड एलोन परियोजना के अन्तर्गत आफग्रिड सोलर परियोजनाएं आती है जवकि प्रश्नगत परियोजना पीएम कुसुम सी-2, आनग्रिड परियोजना है।

(3) श्री राकेश अग्रवाल, वरि०परि०अधि०, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्रस्तर 13.10.3 के अन्तर्गत 5 मेगावाट से कम क्षमता वाले स्टैण्ड अलोन सोलर पावर परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है। प्रश्नगत प्रस्ताव पीएम कुसुम सी-2 रेस्को मोड की श्रेणी में आता है और यह स्टैण्ड अलोन की श्रेणी में नहीं आता है।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि यूपीनेडा स्टैण्ड एलोन परियोजना की परिभाषा क्लीयर करे। यह भी निर्देश दिए गए कि भूमि लीज पर उपलब्ध कराने सम्बन्धी जिलाधिकारी, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 19-02-2025 को संशोधित कराने का अनुरोध यूपीनेडा द्वारा कर लिया जाए तथा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

3- <u>जनपद- चित्रकूट।</u>

(1) निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स अवादा क्लीन ऊर्जा प्रा०लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद चित्रकूट में 60 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के लिए पत्र दिनांक 09-10-2023 द्वारा आवेदन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश संख्या 84/भूमि व्यवस्था/2025, दिनांक 26-03-2025 के द्वारा तहसील मानिकपुर के ग्राम-सकरौहा में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 198.00 एकड़ भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर उपलब्ध करायी गयी है।

श्री नरेन्द्र सिंह, वरि०परि०अधि०, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स अवादा क्लीन ऊर्जा प्रा०लि०, नई दिल्ली जनपद चित्रकूट में 60 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु एकमात्र फर्म/कम्पनी है जिसके द्वारा आवेदन किया गया है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा तहसील मानिकपुर के ग्राम-सकरौहा में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 198.00 एकड़ भूमि प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर मेसर्स अवादा क्लीन ऊर्जा प्रा०लि० नई दिल्ली को 15000/- प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

(2) उच्च स्तरीय समिति द्वारा तहसील मानिकपुर के ग्राम-सकरौहा में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 198.00 एकड़ भूमि प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर मेसर्स अवादा क्लीन ऊर्जा प्रा०लि०, नई दिल्ली को 15000/- प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से 30

वर्ष के लिए लीज पर आवंटित किये जाने के संबंध में निदेशक, यूपीनेडा द्वारा की गयी संस्तुति को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकार किया गया:-

1- नेटवर्थ की पुष्टि करा लेंगे जो मानक के अनुसार हो।

2- स्वीकृति की तिथि से 01 माह के भीतर अनुबंध कर लिया जाएगा।

3- 06 माह में परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

4- स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष पुनः अतिरिक्त भूमि आवंटित नहीं की जायेगी ।

5- निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य न कराये जाने पर यूपीनेडा द्वारा भूमि वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी ।

4- समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि आवेदन करने वाली सभी कम्पनियों का आवेदन प्रपत्र सहित विवरण, चेकलिस्ट में कम्पनी का नाम, आवेदन करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम, Time Line जिसमें एक महीने में लीज डीड करने तथा फाइनेंसियल क्लोजर आदि की स्थिति सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव यूपीनेडा द्वारा प्रेषित किया जाए।

5- निदेशक, यूपीनेडा को निर्देशित किया गया कि सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत प्रस्तुत एजेण्डा/प्रस्ताव का ठीक से परीक्षण न किये जाने, चेकलिस्ट में नेटवर्थ का उल्लेख न करने आदि के लिए संबंधित वरिष्ठ परियोजना अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं कन्सलटेंट एजेंसी को 5,000/- की पेनाल्टी लगायी जाए। यदि भविष्य में पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो कंसल्टेंट एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए।

समिति के सदस्य के रूप में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/नामित अपर जिलाधिकारी बाँदा, चित्रकूट एवं कौशाम्बी द्वारा वर्चुअल माध्यम से सहमति दी गयी।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(इन्द्रजीत सिंह) निदेशक, यूपीनेडा।	(राम रतन) विशेष सचिव, राजस्व विभाग	(नील रतन कुमार) विशेष सचिव, वित्त विभाग	(नरेन्द्र भूषण) अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

संख्या-आई/ 1081604 /87-01010(099)/1/2024

लखनऊ: दिनांक 8 सितम्बर, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बॉदा, चित्रकूट एवं कौशाम्बी।
4. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR CHAUHAN
Date: 08-09-2025
17:53:41

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)

उप सचिव।